

18-10-21.

पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज दिलाई गई।
न अधिवक्ता अपी. और न स्वयं अपीलान्ट उप
आये। अतः पत्रावली अदम हाजरी, अदम फेरी
में रकारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार
होकर नम्बर से कम की जावे, बाद जाहल वाकिल
वफतर हो।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)